



उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग

वनभूमि

हस्तान्तरण पत्रावली

विषय:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

ग्राम:-

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र:-

तहसील:-

जनपद :-

क्षेत्रफल:-

गौण्डार,

कालीमठ,

ऊखीमठ

रुद्रप्रयाग

2.970 है० आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) मोटर मार्ग निर्माण हेतु ।

0.735 है० राज्य भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु ।

0.300 है० राज्य भूमि मक इम्पिंग हेतु ।

0.375 है० आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) मक इम्पिंग हेतु ।

कुल वनभूमि = 4.005 है०

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	8	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	9-13	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-16	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	17-A	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	18	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सीडी में प्रस्तावित क्षेत्र को जीपीएस रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।		संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	21	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	22-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	36-43	संलग्न है	
18	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	44		
19	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	45-47	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	48		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	50	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	51-52		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	53		
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	54-55	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	56	संलग्न है	
27	लागत लाभ विश्लेषण। (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	-	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	57-61	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	-	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	-	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन

			है	निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	62-65	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	66	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	67-68	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	69-70	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	71	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	72	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	73	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	74	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	75	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	76-78		
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	79		
42	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	80-81		
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	82-83		
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	84-86		
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	87		
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	-		
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	88-90	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	91	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	92	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	93	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	94	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

1- परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

2 - प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) (1) मोटर मार्ग हेतु + (2) मकड़मिंग हेतु	2.595 + 0.375 = 2.970
राज्य भूमि (1) मोटर मार्ग हेतु + (2) मकड़मिंग हेतु	0.735 + 0.300 = 1.035
वनभूमि का योग	4.005
नाप भूमि	0.219
कुल योग	4.224

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

5-प्रस्ताव बांझड़िंग किया गया है -

हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

हाँ/ नहीं

- 13 - संमंखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। - हाँ/नही
- 14 - क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। - हाँ/नही
- 15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। - हाँ/नही
- 16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। - हाँ/नही
- 17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। - हाँ/नही
- 18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। - हाँ/नही
- 19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। - हाँ/नही
- यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। - हाँ/नही
- 20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। - हाँ/नही
- 21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। - हाँ/नही
- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
- 22 - क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। - हाँ/नही
- 23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - हाँ/नही
- 24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ/नही

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

(5.00 है से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

हाँ/नहीं

29-मानचित्र व वास्तुचित्र में एकरूपता है

हाँ/नहीं

30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है

हाँ/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के

साथ संलग्न है

हाँ/नहीं

32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है

यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

हाँ/नहीं

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

हाँ/नहीं

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

उपभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर